मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

समाचार

पूर्व क्षेत्र कंपनी के पेंशनर्स को मंहगाई राहत में वृद्वि

जबलपुर, 4 मई 2019 ,

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से सेवानिवृत्त सभी पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स को दी जा रही मंहगाई राहत राशि में 01 जनवरी 2018 से वृद्वि की गई है । कंपनी के ऐसे समस्त पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स जिन्हें वर्तमान में सातवें वेतनमान के तहत पेंशन मिल रही है उन्हें देय मंहगाई राहत में 01 जनवरी 2018 से 2 प्रतिशत तथा 01 जुलाई 2018 से 2 प्रतिशत की वृद्वि की गई है जिससे उन्हें मिलने वाली मंहगाई राहत की कुल दर 9 प्रतिशत हो जाएगी ।

ऐसे पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स जिन्हें वर्तमान में छठवें वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त हो रही है उन्हें देय मंहगाई राहत में 01 जनवरी 2018 से 3 प्रतिशत तथा 01 जुलाई 2018 से 6 प्रतिशत की वृद्वि की गई है जिससे उन्हें मिलने वाली मंहगाई राहत की कुल दर 148 प्रतिशत हो जाएगी ।

सभी पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स को मंहगाई राहत की बढी हुई राशि का भुगतान माह अप्रेल 2019 की पेंशन के साथ किया जा रहा है ।

समाचार क्रमांक : 17

(के.पी.श्रीवास्तव)
जनसंपर्क अधिकारी